**भारत सरकार**
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या. 79**
**(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)**

## राजस्थान में व्यय की गई सीएसआर निधि

**79. श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में सर्वाधिक पिछड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-बहुल क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधि का व्यय सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में व्यय की गई सीएसआर निधि का जिलावार/योजनावार ब्यौरा क्या है?

### उत्तर

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**
**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क): पब्लिक सैक्टर बैंक (पीएसबी) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित नहीं होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित उपबंध पीएसबी पर लागू नहीं होते हैं। तथापि, पीएसबी इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार सीएसआर से संबंधित कार्यकलाप करते हैं। पीएसबी द्वारा किए जाने वाले सीएसआर खर्च में देश भर में फैली विभिन्न गतिविधियों पर व्यय शामिल है, जिसमें स्वच्छ भारत कोष, राष्ट्रीय खेल विकास निधि, स्वच्छ गंगा कोष, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष आदि जैसे अखिल भारतीय परियोजनाओं का समर्थन करने वाले कई संगठन शामिल हैं।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करना होता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) यानी 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए सभी सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा राजस्थान में जिला-वार और सेक्टर-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

*****

**अनुलग्नक-I**

## दिनांक 03.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राजस्थान में सभी सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा 2018-19 से 2022-23 तक जिलावार सीएसआर व्यय

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| **क्र.सं.** | **जिला** | **वित्त वर्ष 2018-19** | **वित्त वर्ष 2019-20** | **वित्त वर्ष 2020-21** | **वित्त वर्ष 2021-22** | **वित्त वर्ष 2022-23** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 12.82 | 14.36 | 4.45 | 9.35 | 10.59 |
| 2 | अलवर | 18.32 | 25.58 | 35.88 | 51.18 | 58.18 |
| 3 | बांसवाड़ा | 3.98 | 2.82 | 2.40 | 1.49 | 5.51 |
| 4 | बारां | 1.83 | 5.68 | 6.25 | 6.81 | 11.95 |
| 5 | बाड़मेर | 25.70 | 17.55 | 24.55 | 15.74 | 17.73 |
| 6 | भरतपुर | 6.01 | 3.03 | 17.17 | 5.06 | 17.84 |
| 7 | भीलवाड़ा | 12.63 | 16.68 | 7.30 | 41.64 | 107.60 |
| 8 | बीकानेर | 2.99 | 4.15 | 4.89 | 15.99 | 22.12 |
| 9 | बूंदी | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.42 | 2.51 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | 22.83 | 3.04 | 4.97 | 23.31 | 8.38 |
| 11 | चुरू | 3.97 | 9.38 | 2.82 | 5.58 | 16.81 |
| 12 | दौसा | 0.49 | 2.28 | 3.60 | 3.92 | 2.60 |
| 13 | धौलपुर | 0.29 | 0.52 | 2.85 | 3.37 | 1.72 |
| 14 | डीडवाना-कुचामन | - | - | - | - | 0.29 |
| 15 | डूंगरपुर | - | 2.53 | 2.52 | 4.04 | 11.09 |
| 16 | गंगानगर | - | - | - | - | 1.65 |
| 17 | हनुमानगढ़ | - | - | 0.06 | 0.31 | 0.49 |
| 18 | जयपुर | 42.57 | 88.15 | 59.13 | 109.20 | 179.93 |
| 19 | जैसलमेर | 0.04 | 3.55 | 4.28 | 5.44 | 11.72 |
| 20 | जालोर | 10.01 | 2.90 | 6.29 | 7.31 | 47.80 |
| 21 | झालावाड़ | 2.16 | 1.06 | 2.39 | 3.27 | 2.63 |
| 22 | झुंझुनू | 4.65 | 3.96 | 5.52 | 7.73 | 13.32 |
| 23 | जोधपुर | 6.89 | 6.58 | 11.47 | 25.42 | 36.88 |
| 24 | करौली | 0.24 | 3.03 | 10.62 | 12.09 | 16.66 |
| 25 | कोटा | 4.06 | 13.82 | 7.90 | 11.05 | 12.18 |
| 26 | नागौर | 0.39 | 2.60 | 8.01 | 5.79 | 7.65 |
| 27 | पाली | 10.44 | 5.19 | 10.53 | 16.92 | 21.35 |
| 28 | प्रतापगढ़ | 0.13 | 0.59 | 0.18 | 0.06 | - |
| 29 | राजसमंद | 7.90 | 15.80 | 23.68 | 22.75 | 15.38 |
| 30 | सवाई माधोपुर | 1.37 | 0.96 | 3.43 | 2.52 | 0.93 |
| 31 | सीकर | 14.81 | 6.63 | 6.95 | 20.81 | 23.31 |
| 32 | सिरोही | 2.15 | 4.70 | 3.12 | 9.62 | 50.95 |
| 33 | श्री गंगानगर | - | 0.94 | 2.18 | 0.84 | - |
| 34 | टोंक | 0.43 | 0.47 | 0.99 | 5.25 | 3.47 |
| 35 | उदयपुर | 22.55 | 46.24 | 101.53 | 88.01 | 195.55 |
| 36 | एनईसी (अन्यत्र कवर नहीं)/उल्लिखित नहीं* | 352.68 | 419.25 | 282.01 | 169.53 | 165.39 |
|  | **कुल** | **595.49** | **734.12** | **670.00** | **711.82** | **1102.16** |

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने उन जिलों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

******

**अनुलग्नक-II**

## दिनांक 03.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2018-19 से 2022-23 तक सभी सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा राजस्थान में क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| **क्र.सं.** | **विकास क्षेत्र** | **वित्त वर्ष 2018-19** | **वित्त वर्ष 2019-20** | **वित्त वर्ष 2020-21** | **वित्त वर्ष 2021-22** | **वित्त वर्ष 2022-23** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि वानिकी | 2.58 | 0.39 | 1.04 | 2.69 | 2.76 |
| 2 | पशु कल्याण | 6.26 | 8.23 | 14.91 | 12.23 | 35.31 |
| 3 | सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं /आश्रित | 0.40 | 0.81 | 1.92 | 0.50 | 0.48 |
| 4 | कला और संस्कृति | 31.08 | 37.87 | 9.97 | 11.31 | 41.64 |
| 5 | प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 2.78 | 2.28 | 16.30 | 30.79 | 29.24 |
| 6 | शिक्षा | 188.30 | 306.74 | 221.46 | 198.68 | 340.79 |
| 7 | पर्यावरणीय स्थिरता | 31.21 | 26.60 | 46.57 | 56.28 | 179.67 |
| 8 | लैंगिक समानता | 0.18 | 7.21 | 0.33 | 2.27 | 0.47 |
| 9 | स्वास्थ्य देखभाल | 89.23 | 128.63 | 181.95 | 176.42 | 160.77 |
| 10 | आजीविका संवर्धन परियोजनाएं | 39.45 | 47.22 | 18.36 | 18.26 | 34.50 |
| 11 | गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण | 15.24 | 19.75 | 42.92 | 26.24 | 33.84 |
| 12 | ग्रामीण विकास परियोजनाएं | 97.24 | 45.98 | 43.39 | 66.34 | 126.30 |
| 13 | स्वच्छ पेयजल | 10.14 | 10.09 | 11.91 | 40.28 | 22.59 |
| 14 | स्वच्छता | 18.43 | 26.57 | 12.25 | 13.16 | 14.18 |
| 15 | वरिष्ठ नागरिक कल्याण | 0.56 | 0.39 | 0.56 | 2.66 | 12.60 |
| 16 | महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना | 0.37 | 2.18 | 0.61 | 1.34 | 0.27 |
| 17 | अनाथालय की स्थापना | - | 1.25 | 0.96 | 0.32 | 1.87 |
| 18 | स्लम क्षेत्र विकास | 0.50 | 0.52 | 3.45 | - | - |
| 19 | सामाजिक-आर्थिक असमानताएं | 8.83 | 8.20 | 1.90 | 3.57 | 5.45 |
| 20 | विशेष शिक्षा | 0.87 | 0.53 | 0.60 | 3.75 | 7.86 |
| 21 | प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर | 0.03 | 0.20 | 2.95 | 0.01 | - |
| 22 | खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण | 24.45 | 24.44 | 8.76 | 15.53 | 21.97 |
| 23 | व्यावसायिक कौशल | 16.35 | 16.09 | 8.57 | 14.56 | 16.74 |
| 24 | महिला सशक्तिकरण | 10.88 | 11.95 | 17.42 | 14.61 | 12.86 |
| 25 | एनईसी (अन्यत्र शामिल नहीं)/उल्लिखित नहीं* | 0.09 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | - |
|  | **कुल** | **595.49** | **734.12** | **670.00** | **711.82** | **1102.16** |

**(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)**

*** कंपनियों ने उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

******